



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 18, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-23

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	541—544	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	223—228	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	147—156	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शहरी विकास अनुभाग-3

अधिसूचना

16 मई, 2024 ई0

संख्या 211598/IV(3)/2024-11(03 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, हरबर्टपुर, जिला-देहरादून क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:-

- (1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पालिका परिषद् हरबर्टपुर, जिला- देहरादून

क्र.	वार्ड का नाम	जनसंख्या	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों के नाम
1	2	3	4	5
1	बंशीपुर	1397	पूरब में-दिल्ली-यमनोत्री मार्ग पश्चिम में-सिचाई विभाग की नहर व पानी खाला, हरिपुर महौल्ले के बीच की सड़क को होते हुए श्री कमल लेखपाल के घर के पास से श्री विजय पाल के घर के पास चौक तक उत्तर में- उदिया पुल दक्षिण में- पॉवटा रोड	सोशल विहार, बंशीपुर, मित्रलोक कालोनी, हरिपुर ऑशिक
2	आदर्श विहार	1381	पूरब में-सहारनपुर रोड़ पश्चिम में-पानी का खाला उत्तर में- पॉवटा रोड़ दक्षिण में- संदीप ढावें से खाले तक	झाड़ो वाला, आदर्श विहार

3	फतेहपुर पश्चिम	1308	पूरब में—देहरादून रोड़ स्माइल स्टोर के पास श्री सतीश कुमार शर्मा व अरूज अग्रवाल के घर को होते हुए कैनाल रोड़ एम०ई०एस० रोड़ तक पश्चिम में—सहारनपुर रोड़ उत्तर में—देहरादून रोड़ दक्षिण में—फतेहपुर बाईपास/एम० ई० एस० रोड़	फतेहपुर पश्चिम कैनाल रोड़
4	आसनबाग	1279	पूरब में—आसनबाग मुख्य मार्ग कब्रिस्तान तक पश्चिम में—देहरादून रोड़ स्माइल स्टोर के पास वाली रोड़ श्री सतीश कुमार शर्मा व अरूज अग्रवाल के घर को होते हुए कैनाल रोड़ तक उत्तर में—देहरादून रोड़ दक्षिण में—फतेहपुर बाईपास/ एम० ई० एस० रोड़	आसनबाग गुज्जर बस्ती
5	रामबाग	1381	पूरब में—पानी का खाला पश्चिम में—मीना जैन रोड़, आसन बाग मुख्य मार्ग कब्रिस्तान तक उत्तर में—शक्ति सिंह वाले मार्ग से पानी के खाले तक दक्षिण में—एम०ई०एस० रोड़	सोनिया बस्ती रामबाग, पूरबिया बस्ती, मयूर विहार
6	विवेक विहार	1361	पूरब में—जैन नर्सिंग होम रोड़ व ग्राम फतेहपुर ग्रान्ट की पश्चिम सीमा पश्चिम में—डी०आर० स्कूल वाली रोड़ उत्तर में— भगीरथ राणा वाला मार्ग दक्षिण में—देहरादून रोड़	विवेक विहार, टीचर कालौनी
7	टी—स्टेट	1222	पूरब में—डी०आर० स्कूल से टी स्टेट की दक्षिणी सीमा पश्चिम में— दिल्ली यमनोत्री मार्ग उत्तर में— टी स्टेट की दक्षिण सीमा दिल्ली—यमनोत्री मार्ग तक दक्षिण में— देहरादून रोड़	टी स्टेट

8	आर्दश नगर	1438	पूरब में— ग्राम फतेहपुर की पश्चिमी सीमा पश्चिम में— सहारनपुर रोड व पानी का खाला उत्तर में— एम0ई0एस0 रोड व सन्दीप के ढाँबे से खाले तक दक्षिण में— आसन नदी	आसनपुल बस्ती,
9	हरिपुर	1450	पूरब में— हरिपुर मोहल्ले की रोड/वार्ड बंशीपुर की सीमा व हरिपुर कैनालरोड़ पश्चिम में—यमुना नहर किनारे की रोड़ उत्तर में— एनफील्ड विकासनगर की सीमा दक्षिण में—कोर्ट रोड हरीपुर मोहल्ले में सिरमौर के घर को होते हुये कैनाल रोड़ तक	हरिपुर महौल्ला प्रगति विहार

आज्ञा से,
सुनील सिंह,
सयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 18, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.207/XIV-a/34/Admin.A/2015--Ms. Afiya Mateen, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 17 days w.e.f. 08.02.2024 to 24.02.2024 with permission to suffix 25.02.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.208/XIV/a-41/Admin.A/2017--Shri Rohit Joshi, Judicial Magistrate-I, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 12.02.2024 to 21.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday and Sunday holidays.

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.209/XIV-a-38/Admin.A/2017--Ms. Kanchan Chaudhary, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 12.02.2024 to 21.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.210/XIV/a-29/Admin.A/2021--Shri Adarsh Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Bhikyasen, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 22.01.2024 to 17.02.2024 with permission to prefix 21.01.2024 and suffix 18.02.2024 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.211/XIV-38/Admin.A/2008--Ms. Anita Gunjiyal, Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 05.02.2024 to 15.02.2024 with permission to prefix 04.02.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.212/XIV-a-43/Admin.A/2015--Ms. Mamta Pant, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 14.02.2024 to 24.02.2024 with permission to suffix 25.02.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.213/XIV-a/27/Admin.A/2012--Ms. Chhavi Bansal, Civil Judge (Sr. Div.), Karanprayag, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.02.2024 to 24.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 25.02.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

May ⁰⁹/₁₀, 2024

No.2464/UHC/Admin.A/2024--Certified that the Charge of Office of the Joint Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of May 9th, 2024, pursuant to Notification No. 214/UHC/Admin.A/2024 Dated: 09.05.2024 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

HARSH SINGH JEENA,

Relieving Officer.

Countersigned

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on transfer)

May 16, 2024

No.2547/UHC/Admin.A-II/2024--Certified that the Charge of Office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 15th May, 2024, in compliance of Notification No. 208922(1)/VIII-1/24-E Patravali No. 64303/2024 dated 04.05.2024 of Labour Section, Government of Uttarakhand.

KAUSHAL KISHORE SHUKLA,

Relieved Officer.

Countersigned

illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE*(Taking over on transfer)*

May 17, 2024

No.2566/UHC/Admin.A-II/2024--Certified that the Charge of Office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 17th May, 2024, in compliance of Notification No. 84/UHC/Admin.A-2/2024 dated 23.04.2024.

KAHKASHA KHAN,

Relieving Officer.

Countersigned

illegible,

*Registrar General,**High Court of Uttarakhand, Nainital.*CHARGE CERTIFICATE*(Taking over on transfer)*

May 17, 2024

No.2567/UHC/Admin.A-II/2024--Certified that the Charge of Office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 17th May, 2024, in compliance of Notification No.90/UHC/Admin.A-2/2024 dated 23.04.2024.

SUJEET KUMAR,

Relieving Officer.

Countersigned

illegible,

*Registrar General,**High Court of Uttarakhand, Nainital.*

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

May 22, 2024

No.851/III-B-2009-10/SLSA/2024--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and in pursuance of the recommendation letter dated 21st May, 2024 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint **Sri Shivakant Dwivedi, Judge, Family Court, Haridwar as Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar, in addition to his present duties.**

Note:- The above order will come into force with immediate effect.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-

ARUN VOHRA,
Officer on Special Duty
For Member Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, PITHORAGARH
CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

May 17, 2024

Letter No.548-1-3-2024--Certified that the charge of the office of the Additional District & Sessions Judge, Pithoragarh was taken over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide notification no- 101/UHC/Admin.A-2/2024, dated April 23, 2024, as hereinafter denoted, in the forenoon of 17-05-2024.

GEETA CHAUHAN,
Additional District & Sessions Judge,
Pithoragarh.

Counter-signed

illegible,

District Judge,
Pithoragarh.
17-05-2024

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE*May 17, 2024*

Letter No.551/14-2024--Certified that the charge of the office of Civil Judge, (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh was taken over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide notification no. 154/UHC/Admin-A-2/2024, dated April 23, 2024, as hereinafter denoted, in the forenoon of May 17, 2024.

RAJNISH MOHAN,*Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat,**District Pithoragarh.*

Counter-signed

SHANKER RAJ,*District Judge,**Pithoragarh.*

17-05-2024.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे BHEL स्टाफ संख्या 1534815 में त्रुटिवश मेरी पत्नी का नाम स्नेह लता दर्ज हो गया है जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक नाम जगदीश पटपटिया है भविष्य मेरी पत्नी को जगदीश पटपटिया पत्नी श्री सिन्दर मोहन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सिन्दर मोहन

निवासी 60/246 नीलखुदाना

ज्वालापुर हरिद्वार

सूचना

मैं UMA DUTT ARMY NO. 278898 IN RANK HAV (MACPNB/SUB) (RETD) मेरे आर्मी अभिलेखों में त्रुटिवश मेरी पत्नी का नाम MINAKSHI दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक MEENA नाम है। भविष्य में मेरी पत्नी को MEENA W/O UMA DUTT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

UMADUTT

निवासी विवेक विहार, लेन नं. 7, बालावाला
नकरौंदा रोड़, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं SHYAM SINGH आर्मी नं. 1464415A EX-SERVICEMAN मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम SHAYAM SINGH गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम SHYAM SINGH है, भविष्य में मुझे SHYAM SINGH S/O LATE SHER SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SHYAM SINGH

निवासी H.No.-D/376 ADARSH
SHIVAJI NAGAR, ROORKEE,
UTTARAKHAND PIN-247667

सूचना

मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक नं. 5321343 प्रमाण पत्रों में त्रुटिवश मेरा नाम ABDULLAH पिता का नाम SHAHNAWAZ MALIK व माता का नाम SHEREEN MALIK गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम MUHAMMAD ABDULLAH पिता का नाम SHAHNAWAZ व माता का सही नाम NARGIS है भविष्य में हमें सही नामों से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MUHAMMAD ABDULLAH S/O

SHAHNAWAZ निवासी गुलाब नगर

रुड़की।

कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग

23 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 264/न0पं0-(पार्किंग)/2020-21-नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड-(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 की उपधारा-1 (ii) (iii) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये "फीकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2021" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, हेतु निम्न प्रकार नियमावली का गठन करते हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेंगी। वाद-मियाद (बाद में प्राप्त) प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम- 2021 कहलाएगा।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. उपविधि/उप-नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, के नियमावली में किसी भी प्रकार के संसोधन का अधिकार नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।

1. प्रसंग:

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/फेकल सलज सेफ्टिक टैंक, गड्डे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार "राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 धोशित की है जिसमें शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल:

नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग में "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेफ्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिये प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके-आदेश सं0 597/ 4(2)-यू0डी0-2017-50/16, दि0 22.05.2017 । इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल रूद्रप्रयाग शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरण:

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा0 स0 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है:

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4- एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रित्त करना:

□ सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुंच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे। जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहन:

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:
 - अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।
 - ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग की अपनी एक ईकाई होगी। परन्तु इस निकाय में ईकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 25 किमी दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा। भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगे।

5-सुरक्षा उपाय:

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा। इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेंगे। जब सेफ्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा।
2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेफ्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवम टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण

प्रक्रिया के समय ्रढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का डक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फेकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

- अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0बी0 द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 में जमा किया जायेगा
- ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्डे से सम्बन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत:-

पालिका क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्डे या किसी भी शिकायत के इस आय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टिक टैंक ओवर-फ्लो तो नहीं हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सुपरवाइजर को भेज कर जाँच करवायेगे। इसके अलावा नगर पंचायत में सेप्टिक टैंक को खाली कराने के ओवदन के आने पर नगर पंचायत द्वारा जाँच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे। तसदीक हाने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।

- 1:- नगर पंचायत के सीवर टैंकर की क्षमता 5000 लीटर
- 2:- नगर पंचायत सीमा के भीतर
 - रू0 15000/- प्रति फेरा, तथा
 - रू0 1000/-
 - STP शुल्क, कुल रू0 16000/- भवन स्वामी नगर पंचायत में शुल्क जमा करेगा।
 - सेप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बन्धित कर्मियों के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 2000/- रू0 की छूट प्रदान की जायेगी।
- 3:- नगर पंचायत सीमा के बाहर
 - रू0 15000/- प्रति फेरा, तथा
 - रू0 1000/- STP शुल्क, एवम रू0 500/ प्रति किमी, भवन स्वामी नगर पंचायत में शुल्क जमा करेगा। सेप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे

फेर की स्थिति होने के कारण सम्बन्धित कर्मियों के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् दूसरे फेरे में 2000/- रू० की छूट प्रदान की जायेगी।

4:- नगर पंचायत द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात् तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बन्धित सैप्टिक टैंक में 5000 ली० का सीवर टैंक पूर्ण नहीं भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

8. मैकेनिज्म का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस०एम०सी०/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्डे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रूद्रप्रयाग में जमा की जायेगी।

8.3 यू०एल०बी० और परिचारक सैप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सैप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का, एक्त्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी०पी०एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र.सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट
2	सेप्टेज /फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी0पी0 एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

ह0 (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ,
जनपद रुद्रप्रयाग।

ह0 (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,
नगर पंचायत ऊखीमठ,
जनपद रुद्रप्रयाग।